रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122025-268965
CG-DL-E-31122025-268965

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 830] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947
No. 830] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 916(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 तथा धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्ति या सुझाव, यदि कोई हों, अपर सचिव (परिवहन), ई-मेल: comments-morth@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे।

आपत्ति या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।
(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर य़ान नियमावली (सीएमवीआर), 1989 (इसके बाद उक्त नियमावली के रूप में उल्लिखित) में, नियम 52 में, उप नियम (2) में,

(क) "वाहन प्राधिकरण को भेजेगा" शब्द के पश्चात्, "या अधिकृत परीक्षण स्टेशन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) "फिटनेस प्रमाणपत्र" शब्दों के पश्चात् "फार्म 38 में" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) "उस प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात्, "या अधिकृत परीक्षण स्टेशन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

3. नियम 62 के, उपनियम (1) में,-

(क) "परिवहन यान के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "मोटर यान के संबंध में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(ङ) नया गैर-परिवहन वाहन	पंद्रह वर्ष
(च) गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण	पांच वर्ष: बशर्ते कि केंद्रीय मोटर यान (…… संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारंभ से हल्के मोटर वाहन की श्रेणी में आने वाले वाहन की फिटनेस केवल ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से की जाएगी, जो नियम 175 के तहत पंजीकृत, स्वचालित परीक्षण स्टेशन, पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में संचालित है।

"(ग) प्रथम परंतुक में, " फिटनेस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण केवल एक निरीक्षण अधिकारी या अधिकृत परीक्षण स्टेशनों के पश्चात् जैसा कि अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए परीक्षण जोकि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट हैं द्वारा किया जाएगा ", शब्दों के स्थान पर ""फिटनेस के प्रमाण पत्र का नवीनीकरण फिटनेस परीक्षण के समय वाहन का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग वीडियो अपलोड करने के बाद ही किया जाएगा, जिसमें पंजीकरण संख्या प्लेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर और वाहन की विशेषताओं की स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हुए सामने, पीछे, दाईं ओर और बाईं ओर से वाहन की दृश्यता को दर्शाता हो " जिसमेः

(i) नियम 189 के उप-नियम (1) में तालिका-घ में निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के पश्चात् धारा 56 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकृत परीक्षण स्टेशन; या

(ii) नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट परीक्षणों को करने के बाद निरीक्षण अधिकारी"

शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) पहले परंतुक में, तालिका में, क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

क्र.सं.	दर	फिटमेंट जांच	ओईएम की सिफारिशों के अनुसार निर्माण/ प्रकार/ रेटिंग आदि की जांच	शर्तों की जाँच	कार्यकरण की जाँच	परीक्षण	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

"(21)	स्पीड गवर्नर	हां	हां	हां (दृश्य)	हां	नहीं	नियम 118 का अनुपालन सुनिश्चित करना। (1) दृश्य निरीक्षण मानदंड: (i) सुरक्षित रूप से सुसज्जित; (ii) स्पीड गवर्नर को सील कर दिया जाएगा; (iii) स्पीड गवर्नर के विद्युत तारों को अलग नहीं किया जाएगा;
(22)	व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग (वीएलटी) डिवाइस	हां	हां (दृश्य)	हां (दृश्य)	हां	हां	नियम 90/नियम 125एच/नियम 129 का अनुपालन सुनिश्चित करना दृश्य निरीक्षण मानदंड: (i) वाहन स्थान ट्रैकिंग संस्थापित की जाएगी; (ii) आपातकालीन अलार्म बटन कार्य करेगा। कार्यात्मक निरीक्षण मानदंड: (i) एआईएस 140 के अनुसार वाहन डेटाबेस में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सक्रिय होगा; (ii) ई-सिम की वैधता अवधि उस तिथि तक होगी जिस दिन वाहन के बाद का फिटनेस परीक्षण देय होता है।
(23)	उच्च सुरक्षा वाले पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी)	हां	हां (दृश्य)	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	नियम 50 का अनुपालन सुनिश्चित करना। दृश्य निरीक्षण मानदंड: (i) उच्च सुरक्षा विंडशील्ड पर तृतीय पंजीकरण चिह्न सहित वाहन के सामने और पीछे संस्थापित पंजीकरण प्लेट; (ii) सुरक्षित रूप से लगाया गया।

(24)	रेट्रो-रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप	हां	हां	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	दृश्य निरीक्षण मानदंड: (क) परावर्तक (i) स्वच्छ परावर्तक की मौजूदगी सुनिश्चित करना; (ii) रिफ्लेक्टरों का सुरक्षित फिटमेंट; (iii) परावर्तक क्षतिग्रस्त नहीं होंगे शर्त; (iv) सुनिश्चित करना कि परावर्तक का रंग नियम 104 के अनुसार होगा, अर्थात, पीछे की ओर लाल रंग या सामने की ओर सफेद। (ख) रिफ्लेक्टिव टेप (i) स्वच्छ परावर्तक टेपों की मौजूदगी सुनिश्चित करना; (ii) वाहन पर सुरक्षित रूप से चिपकाया गया हो; (iii) सुनिश्चित करना कि रिफ्लेक्टिव टेप का आकार, रंग और स्थान नियम 104 के अनुसार होगा; (iv) रिफ्लेक्टिव टेप क्षतिग्रस्त नहीं हों; (v) चिन्ह अंकित सामग्री के बाहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य दिखाई देंगे और अमिट होंगे।
(25)	सुरक्षा बेल्ट (सीट बेल्ट)	हां	नहीं	हां (दृश्य)	नहीं	नहीं	नियम 125 या 125क का अनुपालन सुनिश्चित करना। दृश्य निरीक्षण मानदंड: (i) अनिवार्य सुरक्षा बेल्ट उपलब्ध और सुरक्षित रूप से फिट किए जाएंगे; (ii) सुरक्षा बेल्ट क्षतिग्रस्त नहीं हों; (iii) सुरक्षा बेल्ट एंकरेज ढीला नहीं हो;

							(iv) सीटबेल्ट रिमाइंडर प्रणाली, यदि उपलब्ध हो, सुचारू स्थिति में होनी चाहिए; (v) सीटबेल्ट का जी-लॉक सुचारू स्थिति में होना चाहिए।

(ङ) द्वितीय परंतुक में, "फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट परीक्षणों को संपन्न करने के बाद ही किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर, "फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट परीक्षणों को संपन्न करने के बाद, वाहन के आगे, पीछे, दाहिनी ओर और बाईं ओर से पंजीकरण संख्या प्लेट, चेसिस संख्या और वाहन की विशेषताओं की सुस्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हुए, फिटनेस परीक्षण के समय वाहन का कम से कम दस सेकंड का जियो-टैग किया हुआ वीडियो अपलोड करने के बाद ही किया जाएगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(च) तृतीय परंतुक और चतुर्थ परंतुक का विलोपन कर दिया जाएगा;

(छ) पाँचवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"इसके अलावा, पूर्ण रूप से निर्मित वाहन के रूप में बिक्री किए जाने वाले नए गैर-परिवहन वाहन के पंजीकरण के समय किसी फिटनेस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसे वाहन को पंजीकरण की तिथि से पंद्रह वर्षों की अवधि के लिए फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त माना जाएगा।

4. उक्त नियमावली के नियम 174 में, उप-नियम (1) के खंड (iii) में, "फॉर्म 25 के लिए" शब्द विलोपित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमावली के नियम 176 में, उप-नियम (1) में,

(क) प्रथम परंतुक में, "वाहन निर्माता या" और "ऑटोमोबाइल डीलर या" शब्द का विलोपन किया जाएगा;

(ख) प्रथम परंतुक में, "के निर्माण या बिक्री" शब्दों के बाद, "वाहन या" शब्द का विलोपन किया जाएगा;

(ग) द्वितीय परंतुक में, "वाहन निर्माता या" और "ऑटोमोबाइल डीलर या" शब्द का विलोपन किया जाएगा

(घ) द्वितीय परंतुक में, "के निर्माण या बिक्री" शब्दों के बाद, "वाहन या" शब्द का विलोपन किया जाएगा।

6. उक्त नियमावली के नियम 177 में, उप-नियम (2) में, "विनिर्माण या बिक्री" शब्दों के बाद, "वाहन या" शब्द विलोपित किए जाएंगे।

7. उक्त नियमावली के नियम 181 में,

(क) उप-नियम (2) को विलोपित किया जाएगा

(ख) उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) स्वचालित परीक्षण केंद्र पर फिटनेस परीक्षण के लिए स्लॉट बुक करते समय वाहन पहचान और वाहन के स्वामी की पहचान के लिए निम्नलिखित जानकारी दर्ज की जाएगी, अर्थात्: -

(i) वाहन की पंजीकरण संख्या

(ii) पंजीकृत स्वामी या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का मोबाइल नंबर

(ग) उप-नियम (4) में,

(i) खंड (viii) में, "निर्माण का माह और वर्ष;" शब्दों के बाद, "और" शब्द विलोपित किया जाएगा।

(ii) खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

"(x) बीमा वैधता;

(xi) परमिट वैधता, जहाँ भी लागू हो;

(xii) पीयूसीसी वैधता।

(घ) उप-नियम (5) में, "किए जाने वाले परीक्षणों की सूची" शब्दों से पहले, "स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहन फिटनेस परीक्षण तभी प्रारंभ किया जाएगा जब स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे के माध्यम से वाहन पंजीकरण संख्या को पढ़कर स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर वाहन की उपस्थिति को सत्यापित किया जाएगा।" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे।

(ङ) उप-नियम (6) में,

(i) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"सभी स्वचालित परीक्षण डेटा परीक्षण उपकरण से स्वचालित परीक्षण स्टेशन में स्थापित सर्वर पर वास्तविक समय के आधार पर एन्क्रिप्टेड प्रारूप में स्वचालित रूप से प्रेषित किया जाएगा और आगे इस सर्वर से केंद्रीय सर्वर पर एन्क्रिप्टेड प्रारूप में स्वचालित रूप से प्रेषित किया जाएगा।"

(ii) खंड (v) को विलोपित किया जाएगा

(iii) खंड (vi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"वाहन के आगे, पीछे, दाएं और बाएं ओर से ली गई तस्वीरों और कम से कम दस सेकंड के वीडियो सहित दृश्यता जांच डेटा, जिसमें वाहन की पंजीकरण संख्या प्लेट, चेसिस संख्या और इंजन नंबर, वाहन की विशेषताएं और स्वचालित परीक्षण स्टेशन में परीक्षण उपकरण कंसोल के साथ वाहन की उपस्थिति सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे, को ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएसी) से लैस कैमरे द्वारा कैप्चर किया जाएगा और स्वचालित परीक्षण स्टेशन में संस्थापित सर्वर पर स्थानांतरित किया जाएगा और फिर इस सर्वर से स्वचालित रूप से एक केंद्रीय सर्वर पर प्रेषित किया जाएगा।"

(च) उप-नियम (7) में,

(i) "फॉर्म 25 या" और "जैसा भी मामला हो" शब्दों का विलोपन किया जाएगा।

(ii) खंड (iv) में, "विवरण" शब्द के बाद "और फोटोग्राफ" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे।

8. उक्त नियमावली के नियम 182 में,

(क) उप-नियम (1) में, "दोषों को ठीक करवाने के बाद" शब्दों के स्थान पर, "नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के बाद" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-नियम (1क) को विलोपित किया जाएगा;

(ग) उप-नियम (2) में, "एकाधिक पुनः परीक्षण" शब्दों के बाद, "नियम 81 में निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने के बाद" शब्द अतः स्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमावली के नियम 189 में,

(क) तालिका-घ में, क्रमांक 23 पर,

(i) कॉलम 5 में, "दृश्य" शब्द के स्थान पर "दृश्य और कार्यात्मक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) कॉलम 7 में क्रमांक (ii) के बाद निम्नलिखित को अतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"कार्यात्मक निरीक्षण पैरामीटर:

(i) वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस एआईएस 140 के अनुसार वाहन डेटाबेस में सक्रिय होना चाहिए;

(ii) ई-सिम की वैधता अवधि वाहन के बाद के फिटनेस परीक्षण की नियत तिथि तक रहेगी;

(iii) फिटनेस परीक्षण के दौरान वाहन की स्थिति को वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (1) में,

(i) नोट (क) में, "और निर्धारित फिटनेस परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के बाद एकाधिक पुनः परीक्षणों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी" शब्द का विलोपन किया जाएगा;

(ii) नोट (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ख) यदि कोई वाहन उपरोक्त (क) में सूचीबद्ध किसी भी परीक्षण में असफल होने के बाद वाहन को 'अयोग्य' घोषित किए जाने की पहली तिथि से 180 दिनों के भीतर (परीक्षण के दिन को छोड़कर) या फिटनेस प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि से, जो भी बाद में हो, 'योग्य' घोषित नहीं किया जाता है, तो वाहन को समयावधि पूर्ण हो चुके वाहन ('एंड ऑफ लाइफ व्हीकल (ईएलवी)' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वाहन में 'ईएलवी' के रूप में चिह्नित किया जाएगा।" राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का पंजीकरण प्राधिकारी, यदि वे संतुष्ट हों, तो असाधारण परिस्थितियों में 180 दिनों से अधिक का विस्तार प्रदान कर सकता है।

(iii) नोट (ग) में, "निर्धारित फिटनेस परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे वाहन का कई बार पुनः परीक्षण किया जा सकता है" शब्द का विलोपन किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (5) में, "स्वचालित परीक्षण केंद्र में वाहन पर किए गए सभी दृश्य निरीक्षणों की मोबाइल उपकरण का उपयोग करके तस्वीरें ली जाएंगी और उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा" शब्दों के स्थान पर "नियम 181 के उप-नियम (6) के अनुसार प्राप्त सभी परीक्षण डेटा और दृश्यता निरीक्षण डेटा, जिसमें तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं," शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमावली के नियम 190 में, उप-नियम (6) में, सारणी-छ में, क्रमांक 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियाँ अतः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: —

"9	**सुविधा केंद्र के प्रवेश द्वार और प्रत्येक कंसोल के अंत में सीसीटीवी कैमरे लगाना** ताकि वाहन के संपूर्ण परीक्षण की सुस्पष्ट दृश्यता और व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। डेटा को छह माह की अवधि के लिए संग्रहित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार, सुविधा में संस्थापित सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच अधिकृत एजेंसियों को प्रदान की जा सकती है।	**(क) स्पष्टता (रिज़ॉल्यूशन): 8 मेगापिक्सेल या उससे अधिक** **(ख) ऑप्टिकल ज़ूम: 4x या उससे अधिक** **(ग) विशेष सुविधाएँ:** • इन्फ्रारेड सपोर्ट के साथ नाइट विज़न क्षमता से युक्त। • रीयल-टाइम अलर्ट के साथ मोशन डिटेक्शन सेंसर • पूर्ण कवरेज के लिए 360-डिग्री पैन और टिल्ट की सुविधा • लाइव मॉनिटरिंग के लिए वाई-फाई या लैन के माध्यम से रिमोट सुलभ। • आउटडोर के लिए मौसमरोधी (आईपी66 रेटिंग) 1080पी या उससे बेहतर स्पष्टता के साथ हाई-डेफिनिशन वीडियो रिकॉर्डिंग का उपयोग

11. उक्त नियमावली के प्रपत्र 38 में, "(केवल परिवहन वाहनों के मामले में लागू)" शब्द का विलोपन किया जाएगा।

12. उक्त नियमावली का प्रपत्र 38ए विलोपित किया जाएगा।

[फा.सं. आरटी-16011/3/2023-टी-पार्ट(1)-टी]

महमूद अहमद,अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांकित 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांकित .... द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December 2025

G.S.R. 916(E).- The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 and section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (….. Amendment) Rules, 2025

(2) They shall come into force from the date of publication of the notification.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 52, in sub-rule (2),

(a) after the words "shall refer the vehicle to the authority", the words "or authorised testing station" shall be inserted;

(b) after the words "certificate of fitness", the words ", in Form 38" shall be inserted;

(c) after the words "from that authority", the words "or authorised testing station" shall be inserted.

3. In rule 62, in sub-rule (1),

(a) for the words “in respect of a transport vehicle”, the words “in respect of a motor vehicle” shall be substituted;

(b) After clause (d), the following entries shall be inserted, namely: -

(e) new non-transport vehicle	fifteen years
(f) renewal of certificate of fitness	five years:

in respect of non-transport vehicles	Provided that where the automated testing station registered under rule 175 is operational in the jurisdiction of a registering authority, the fitness of the vehicle of the category light motor vehicle shall be done only through such automated testing station with effect from the commencement of the Central Motor Vehicles (…… Amendment) Rules, 2025.

(c) in the first proviso, for the words "the renewal of a fitness certificate shall be made only after an Inspecting Officer or authorised testing stations as referred to in sub-section (1) of section 56 of the Act has carried the tests specified in the Table given below", the words "the renewal of a certificate of fitness shall be made only after uploading at least a ten seconds geo-tagged video of the vehicle at the time of fitness test, capturing the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number, engine number and features of the vehicle by an:

(i) authorised testing station as referred to in sub-section (1) of section 56 after carrying out the tests specified in the Table-D in sub-rule (1) of rule 189; or

(ii) Inspecting Officer after carrying out the tests specified in the Table given below"

shall be substituted.

(d) in the first proviso, in TABLE, after serial number 20 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely, -

Sl. No.	Item	Check fitment	Check makes /type/rating etc., as per OEM's recommendations	Check Conditions	Check functioning	Test	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
"(21)	Speed governor	Yes	Yes	Yes (Visual)	Yes	No	Ensure compliance with Rule 118. (1) Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Speed governor shall be sealed; (iii) Electrical wirings of speed governor shall not be disconnected;

(22)	Vehicle location tracking (VLT) device	Yes	Yes (Visual)	Yes (Visual)	Yes	Yes	Ensure compliance with Rule 90 / Rule 125H / Rule 129 Visual inspection parameters: (i) Vehicle Location Tracking shall be installed; (ii) Emergency alarm button shall be working. Functional inspection parameters: (i) Vehicle Location Tracking Device shall be active in VAHAN database as per AIS 140; (ii) e-SIM shall have a validity period up to the date on which the subsequent fitness test of the vehicle falls due.
(23)	High security registration plate (HSRP)	Yes	Yes (Visual)	Yes (Visual)	No	No	Ensure compliance with Rule 50. Visual inspection parameters: (i) High Security Registration Plates installed at the front & rear of the vehicle including third

							registration mark on the windshield; (ii) Securely fixed.
(24)	Retro-Reflector and reflective tapes	Yes	Yes	Yes (Visual)	No	No	Visual inspection parameters: (A) Reflectors (i) Ensure presence of clean reflectors; (ii) Secured fitment of reflectors; (iii) Reflectors shall not be in damaged condition; (iv) Ensure that colour of reflectors shall be as per rule 104, i.e., red colour to the rear or white to the front. (B) Reflective Tapes (i) Ensure presence of clean reflective tapes; (ii) Securely pasted to vehicle body; (iii) Ensure that size, colour and location of reflective tapes shall be as per rule 104; (iv) Reflective

							tapes shall not be damaged; (v) The marks shall be visible, clearly legible on the outside of the marking material and shall be indelible.
(25)	Safety belt (seat belt)	Yes	No	Yes (Visual)	No	No	Ensure compliance with Rule 125 or 125A. Visual inspection parameters: (i) Mandatory safety belts shall be available and securely fitted; (ii) Safety belts shall not be damaged; (iii) Safety belt anchorage shall not be loose; (iv) Seatbelt reminder system, if available, should be functioning; (v) G-lock of seatbelt should be functioning.

(e) in the second proviso, for the words "the renewal of fitness certificate shall be made only after carrying out tests specified in the Table given below", the words "the renewal of a certificate of fitness shall be made only after uploading at least a ten seconds geo-tagged video of the vehicle at the time of fitness test, capturing the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number and features of the vehicle after carrying out the tests specified in the Table given below" shall be substituted.

(f) the third proviso and the fourth proviso shall be omitted;

(g) after the fifth proviso, the following shall be inserted, namely: -

"Provided further that no fitness certification shall be required at the time of registration for new non-transport vehicle sold as fully built vehicle and such vehicle shall be deemed to be having certificate of fitness for a period of fifteen years from the date of registration."

4. In rule 174 of the said rules, in sub-rule (1), clause (iii), the words "in Form 25 for" shall be omitted.

5. In rule 176 of the said rules, in sub-rule (1),

(a) in the first proviso, the words "vehicle manufacturer or" and the words "automobile dealer or" shall be omitted;

(b) in the first proviso, after the words "manufacturing or sale of", the words "vehicle or" shall be omitted;

(c) in the second proviso, the words "vehicle manufacturer or" and the words "automobile dealer or" shall be omitted;

(d) in the second proviso, after the words "manufacturing or sale of", the words "vehicle or" shall be omitted.

6. In rule 177 of the said rules, in sub-rule (2), after the words "manufacturing or sale of", the words "vehicles or" shall be omitted.

7. In rule 181 of the said rules,

(a) sub-rule (2) shall be omitted

(b) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely: -

"(3) The following information for vehicle identification and vehicle owner identification shall be entered at the time of booking a slot for fitness test at an automated testing station, namely: -

(i) Registration number of a vehicle
(ii) Mobile number of the registered owner or authorised signatory"

(c) in sub-rule (4),

(i) in clause (viii), after the words "Month and Year of Manufacture; ", the word "and" shall be omitted

(ii) after clause (ix), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(x) insurance validity;

(xi) permit validity, wherever applicable;
(xii) PUCC validity."

(d) In sub-rule (5), before the words "The list of tests to be conducted", the words "The vehicle fitness testing at an automated testing station shall be triggered only after reading the vehicle registration number through Automatic Number Plate Recognition camera to validate the presence of the vehicle at an automated testing station." shall be inserted.

(e) in sub-rule (6),

(i) for clause (ii), the following shall be substituted, namely: -

"all automated test data shall be automatically transmitted from testing equipment to a server installed in the automated testing station on real-time basis in an encrypted format and further shall be automatically transmitted from this server to a central server in an encrypted format"

(ii) clause (v) shall be omitted

(iii) for clause (vi), the following shall be substituted, namely: -

"The visual checks data, including photographs and at least a ten seconds video of the vehicle from front, rear, right side and left side ensuring clear visibility of the registration number plate, chassis number and engine number of the vehicle, features of the vehicle and presence of the vehicle in the automated testing station along with testing equipment console shall be captured by Global Positioning System enabled camera and shall be transferred to the server installed in the automated testing station and further automatically transmitted from this server to a central server"

(f) in sub-rule (7),

(i) the words "Form 25 or" and the words ",as the case may be," shall be omitted.

(ii) in clause (iv), after the word "details", the words "and photographs" shall be inserted.

8. In rule 182 of the said rules,

(a) in sub-rule (1), for the words "after getting the defects rectified", the words "after paying fees as specified in rule 81" shall be substituted;

(b) sub-rule (1A) shall be omitted;

(c) in sub-rule (2), after the words "multiple re-tests", the words "after paying fees as specified in rule 81" shall be inserted.

9. In rule 189 of the said rules,

(a) In Table-D, at serial number 23,

(i) In column 5, for the word "Visual" the words "Visual and Functional" shall be substituted;

(ii) In column 7, after serial no. (ii), the following shall be inserted, namely:-

"Functional inspection parameters:

(i) Vehicle Location Tracking Device shall be active in VAHAN database as per AIS 140;
(ii) e-SIM shall have a validity period up to the date on which the subsequent fitness test of the vehicle falls due;
(iii) Location of the vehicle during the fitness test shall be validated through Vehicle Location Tracking Device."

(b) in sub-rule (1),

(i) in Note (a), the words "and shall be allowed to apply for multiple re-tests after paying prescribed fitness testing fee" shall be omitted;

(ii) for Note (b), the following shall be substituted, namely: -

"(b) if a vehicle is not declared as 'fit' within 180 days from the first date of vehicle declared as 'unfit' (excluding the day of test) after failing any of the tests listed in (a) above or from the date of expiry of fitness certificate, whichever is later, the vehicle shall be categorized as 'End of Life Vehicle (ELV) and flagged in the VAHAN as 'ELV'. The registering authority of the State / Union Territory to their satisfaction, may allow extension beyond 180 days, under exceptional circumstances";

(iii) in Note (c), the words "Such vehicle may undergo multiple re-tests, after paying the prescribed fitness testing fee" shall be omitted.

(c) in sub-rule (5), for the words "All visual checks conducted on a vehicle in an Automated Testing Station shall be photographed using a mobile device and the record of the same", the words "All test data and visual checks data, including photographs and videos, captured as per sub-rule (6) of rule 181," shall be substituted

10. In rule 190 of the said rules, in sub-rule (6), in Table-G, after serial number 8 and the entries relating there to, the following serial number and entries shall be inserted, namely: —

"9	**CCTV cameras positioned at the entrance of the facility and end of each console** to ensure clear visibility and comprehensive coverage of the vehicle's end-to-end testing. The data should be stored for a period of six months. Further, access to the CCTV footage installed in the facility may be provided to authorized agencies as may be required by	**(a) Resolution**: 8 megapixels or above **(b) Optical Zoom**: 4x or above **(c) Special Features**: • Built-in night vision capability with infrared support • Motion detection sensors with real-time alerts • 360-degree pan and tilt functionality for full

	State government or Union territory government.	coverage • Remote access through Wi-Fi or LAN for live monitoring • Weatherproof (IP66 rating) for outdoor use High-definition video recording with 1080p resolution or better

11. In Form 38 of the said rules, the words "(APPLICABLE IN THE CASE OF TRANSPORT VEHICLES ONLY)" shall be omitted.

12. Form 38A of the said rules shall be omitted

[F.No. RT-16011/3/2023-T-Part(1)-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated 2nd day of June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. ….(E), dated …..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.12.31 16:35:43 +05'30'